संख्या–2437/58–2009–100(2)/2006

प्रेषक,

सीता राम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ दिनांक 01 अक्तूबर, 2009

विषय :– आलू बीज वितरण सम्बन्धी नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–360/58–1–97–100 (21)/96 दिनांक–09 सितम्बर, 1997 द्वारा आलू बीज वितरण संबंधी नीति पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त नीति को अतिक्रमित करते हुए प्रदेश में प्रमाणित स्तर तक आलू बीजोत्पादन कराये जाने के लिए निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:–

1. आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी के आलू बीज का वितरण आलू बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को समूह में गठित करके किया जाये।
2. कृषक समूह का चयन क्लस्टर में किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम पांच हैक्टेयर क्षेत्रफल आलू बीज उत्पादन के अन्तर्गत रहे, जिससे बीज प्रमाणीकरण संस्था के नियमों के अनुसार निरीक्षण शुल्क न्यूनतम रहे एवं इसका लाभ लाभार्थियों को मिल सके। शत्–प्रतिशत बीज प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लाभार्थियों से प्रमाणीकरण शुल्क जनपद स्तर पर अग्रिम के रूप में जमा करा लिया जायेगा।
3. समूह के एक लाभार्थी कृषक को आधारित प्रथम आलू बीज कम से कम 1/2 हैक्टेयर तथा आधारित द्वितीय श्रेणी का आलू बीज कम से कम एक हैक्टेयर क्षेत्रफल की सीमा तक 35 कुन्तल प्रति हैक्टेयर की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। विभागीय योजनाओं में चयनित कृषकों को आलू बीज योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
4. राजकीय शीतगृह से जनपद के प्रतिनिधि के द्वारा आलू बीज प्राप्त करने के बाद कृषकों में वितरण करने तक आलू बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय उद्यान अधिकारी की होगी। जनपद में आलू बीज पहुँचने पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप–1 पर यह प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि राजकीय शीतगृह से प्राप्त बीज को उसी रूप में जनपद में प्राप्त किया गया है तथा उसी बीज को कृषकों को वितरित किया गया है।

5. चयनित कृषक द्वारा उत्पादित किये जाने वाला आधारित आलू बीज में से अपनी आवश्यकता के लिए आलू बीज रोककर शेष आलू बीज को अगले वर्ष समूह के अन्य कृषकों को अग्रेतर श्रेणी में आलू बीजोत्पादन एवं प्रमाणीकरण हेतु उपलब्ध करायेगा इसमें सम्बन्धित विभागीय जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा भी बीज के प्रमाणीकरण एवं विक्री में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. समूह के कृषकों को आधारित आलू बीज विभाग द्वारा रोटेशन के आधार पर दिया जायेगा जिससे अन्य कृषकों को भी आगामी वर्षों में गुणवत्तापूर्ण आधारित आलू बीज प्राप्त हो सके।

7. चयनित कृषक द्वारा खसरा-खतौनी की नकल सहित निर्धारित प्रारूप–2 पर आवेदन पत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी को देगें जिन्हें सूचीबद्ध कर लिया जायेगा। निदेशालय से जनपद/मण्डल को आलू बीज आवंटन के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा आवेदकों की बीज उत्पादन क्षमता एवं सिंचाई सुविधा आदि के आधार पर श्रेष्ठता के क्रम में चयनित कृषकों बीजोत्पादन हेतु आलू बीज उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें नियमानुसार आरक्षण का ध्यान भी रखा जायेगा।

8. चयनित कृषकों को जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा आलू बीज उत्पादन की तकनीकी को विशेषज्ञों तथा प्रमाणीकरण की विधाओं के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा आलू बीज बुआई से पूर्व प्रशिक्षित कराया जायेगा।

9. समूह के कृषकों द्वारा उत्पादित आधारित/प्रमाणित आलू बीज को जिला स्तर पर चिन्हित अच्छी ख्याति के निजी शीतगृहों में ही भण्डारित कराया जाय, जिससे कि इस बीज का सदुपयोग आगामी वर्षो मे बीज के रूप में ही किया जा सके।

10. चिन्हित निजी शीतगृहों में कृषकों के भण्डारित आलू बीज का जनपदीय उद्यान अधिकारी पाक्षिक रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि बीज सुरक्षित एवं सही दशा में है।

11. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ0प्र0 द्वारा आलू बीज उत्पादक कृषकों के खेतों के प्रत्येक विहित निरीक्षण की आख्या की प्रति जनपदीय उद्यान अधिकारी को भी उपलब्ध करानी होगी।

12. मण्डलीय उप निदेशक उद्यान द्वारा बीज उत्पादक कृषकों के प्रक्षेत्रों का फसल अवधि में कम से कम दो बार स्वयं निरीक्षण किया जायेगा। कृषकों के बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों में कम से कम 10 प्रतिशत प्रक्षेत्र का निरीक्षण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

13. जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में 15 नवम्बर तक बीज उत्पादक कृषकों के प्रक्षेत्र पर बुवाई की विस्तृत रिपोर्ट मण्डलीय उप निदेशक को प्रेषित की जायेगी। मण्डलीय उप निदेशक का यह दायित्व होगा कि प्रक्षेत्रों का निरीक्षण कर अपनी आख्या विलम्बतम 30 नवम्बर तक हार्ड एवं साफ्ट कापी में निदेशालय को प्रेषित करेगें।

14. कृषकों द्वारा उत्पादित आधारित द्वितीय एवं प्रमाणित श्रेणी के बीजों का पूर्ण विवरण जिला उद्यान अधिकारी द्वारा कृषकवार पंजिका में संलग्न निर्धारित प्रारूप–3 पर अनुरक्षित किया जायेगा तथा जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कृषकों को

सहमति से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त बीज आगामी वर्षों में बीजोत्पादन हेतु ही प्रयोग किया जाये। स्पष्ट करना है कि आधारित प्रथम, आधारित द्वितीय एवं प्रमाणित प्रथम तक की पूरी लाभार्थी श्रंखला का अनुवर्ती वर्षों में जिला स्तर पर विधिवत् अभिलेखीकरण सुनिश्चित कराया जाना है।

15. बीजों को चिन्हित शीतगृहों में भण्डारित कराने के उपरान्त जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा 20 अप्रैल तक उत्पादित बीजों का कृषकवार शीतगृह के नाम संहित भण्डारण का पूर्ण विवरण हार्ड एवं साफ्ट कापी में निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सीता राम यादव)
संयुक्त सचिव

संख्या–2437(1)/58–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
4. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज प्रमाणीकरण भवन, राजकीय उद्यान, परिसर, आलमबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त दिशा–निर्देश के परिपालन में अपने सम्बन्धित मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों को कार्यकारी आदेश यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करें।
6. सूचना निदेशक, उ0प्र0 को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

प्रारूप–1

राजकीय शीतगृह से जनपद में आलू बीज पहुँचने तथा कृषकों के मध्य वितरण करने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजकीय शीतगृह ..... से वाहन संख्या– ..... द्वारा 50 किग्रा0 क्षमता के ..... बोरे जिनका कुल वजन ..... कुन्तल है, को आज दिनांक ..... को पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस जनपद के प्रतिनिधि श्री .... पदनाम .... द्वारा निदेशालय द्वारा आवंटित प्रजाति व श्रेणी के अनुसार सही दशा में जनपद मुख्यालय पर प्राप्त किया गया है जिसका शीतगृह से जारी गेट पास संख्या– ..... है। आलू बीज का वितरण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित लाभार्थी कृषकों में कर दिया गया है तथा इस बीज की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

हस्ताक्षर,

जिला उद्यान अधिकारी
जनपद –

आलू बीजोत्पादन हेतु लाभार्थी चयन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप
वर्ष 2009–10

1– कार्यक्रम का नाम जिसके अन्तर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है–

2– लाभार्थी का नाम–..... 3–टेलीफोन नम्बर–.....

4– बैंक का नाम, खाता संख्या–(के0सी0सी0 लिमिट सहित).....

5– पिता का नाम–.....

6– गॉव का नाम–..... 7–डाकखाना–.....

8– विकास खण्ड का नाम–..... 9– जनपद का नाम–.....

10– लाभार्थी की श्रेणी–(सामान्य वर्ग/लघु/सीमान्त/
अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति).....

11– लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता एवं प्रस्तावित
कार्यक्रम हेतु अनुभव(यदि कोई हो)).....

12– लाभार्थी के पास कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल
(जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो).....

13– कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रफल (है0 में)–.....

14– खसरा संख्या–.....

15– सिंचाई की उपलब्ध सुविधाऐं–.....

16– लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों
का विवरण (कृषि फसलें/औद्यानिक फसलें)–.....

17– लाभार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम के संचालन हेतु जारी दिशा–निर्देशों में अपेक्षित अन्य विवरण–

(क) प्रक्षेत्र की मुख्य मार्ग/सड़क से दूरी (किमी0).....

(ख) आवेदक के प्रक्षेत्र के निकटस्थ तीन शीतगृहों का नाम एवं उनकी दूरी (किमी0).....

संलग्न– खतौनी की प्रमाणित फोटोप्रति, अनुबन्ध पत्र।

हस्ताक्षर कृषक

संस्तुतिकर्ता

मैनें प्रस्तावित कृषक की भूमि का निरीक्षण किया है, जो ..... कार्यक्रम के लिये उपयुक्त है। आवेदनकर्ता के चयन की संस्तुति की जाती है।

संस्तुतिकर्ता (क्षेत्रीय कार्यकर्ता) के हस्ताक्षर

चयन की संस्तुति की जाती है:–

1– खण्ड विकास अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक

प्रारूप–3

जनपद में आलू बीज उत्पादन का विवरण

(अ) आधारित प्रथम से आलू बीज सम्वंर्द्धन (वर्ष 2009–10)

क्र. सं0	कृषकों के नाम व पता जिन्हें आधारित प्रथम आलू बीज दिया गया	प्रजाति का नाम	क्षेत्रफल (है0)	मात्रा (कु0)	प्रमाणीकरण के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल (है0)	प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल (है0)	उत्पादित मात्रा (कु0)	टैग्ड आलू बीज की भण्डारित मात्रा	शीतगृह का नाम जिसमें आलू बीज भण्डारित किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(ब) आधारित द्वितीय से आलू बीज सम्वंर्द्धन (वर्ष 2009–10)

क्र. सं0	कृषकों के नाम व पता जिन्हें आधारित द्वितीय आलू बीज दिया गया	प्रजाति का नाम	क्षेत्रफल (है0)	मात्रा (कु0)	प्रमाणीकरण के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल (है0)	प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल (है0)	उत्पादित मात्रा (कु0)	टैग्ड आलू बीज की भण्डारित मात्रा	शीतगृह का नाम जिसमें आलू बीज भण्डारित किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोट :– वर्ष 2010–11 एवं आगामी वर्षों में उक्त उत्पादित बीज को अग्रणीत कर इसी पंजिका में अनुरक्षित किया जायेगा।